न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक. निगरानी 1591–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, घाटीगॉव जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 7/2013–14/अ–12.

1– धनीराम पुत्र स्व. लालाराम राठौर
2– शोभरन जाटव पुत्र स्व. छुट्टाराम
3– मनीराम धाकड़ पुत्र फुन्दी
4– अमरसिंह पुत्र ठाकुर लाल
5– विघा पुत्र जीवनलाल
6– गजाधर पुत्र रामचरन
7– सुघर सिंह पुत्र मनीराम
8– रामस्वरूप पुत्र देवीलाल
9– रामचरन पुत्र फन्द्री धाकड़ .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– राकेश बघेल पुत्र बालूराम बघेल
निवासी ग्राम मोहना जिला ग्वालियर
2– म0प्र0 शासन .....अनावेदकगण

श्री पंकज जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिषक, अनावेदक क. 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, घाटीगॉव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा जनमित्र समाधान केन्द्र, मोहना के माध्यम से मोहना स्थित सर्वे कमांक 193/1 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाकर दिनांक

8–9–2014 को सीमांकन प्रतिवेदन नायब तहसीलदार, वृत्त मोहना को प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार, घाटीगॉव द्वारा प्रकरण कमांक 7/2013–14/अ–12 दर्ज कर दिनांक 10–10–2014 को सीमांकन की पुष्टि की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमांकन किया गया है, जबकि सीमांकन की कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को तक सूचना दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है । यह भी कहा गया कि वादग्रस्त भूमि से लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 1379 पर आवेदकगण के पूर्वज 50 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज रहे हैं तथा मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर दिनांक 10–10–2014 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि शामिल खाते की भूमि है, जिसका बटांकन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन अवैध है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन की कार्यवाही वैधानिक प्रावधानों के विपरीत की गई है, इसलिए संहिता की धारा 250 की कार्यवाही किये जाने का अनावेदक कमांक 1 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदकगण को बिना सूचना व सुनवाई किये आदेश पारित किया गया है, और आवेदकगण अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति होकर कानूनी प्रकिया से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं, इसलिए विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित है ।

उनके द्वारा तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 259 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत प्रश्नाधीन भूमि की चुतःसीमा दर्शाई जाकर सीमा चिन्ह लगाये गये हैं एवं पंचों के समक्ष अनावेदक कमांक 1 की भूमि का सीमांकन किया गया है, और स्थल पंचनामा बनाया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन कार्यवाही को सही पाते हुए उसकी पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । अंत में तर्क

प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि तहसीलदार का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाये ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–10–2014 की जानकारी संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सूचना पत्र प्राप्त होने पर होना बतलाई गई है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण है, अतः यह निगरानी समय–सीमा में मान्य की जाती है । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है, अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदकगण की हैसियत केवल अतिकामक की है, और उनके द्वारा अपने उत्तर में भी यह स्वीकार किया गया कि उनके अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं होने के कारण उन्हें सूचना पत्र नहीं दिया जा सकता है । अतः आवेदकगण द्वारा स्वयं यह स्वीकार किये जाने के कारण कि प्रश्नाधीन भूमि पर वे कब्जेदार हैं, सीमांकन प्रकिया को अवैधानिक नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, घाटीगॉव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर